राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/फार्मासिस्ट/नियुक्ति/2012/591-96 दिनांकः 23-7-2012

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

विषयः– नव नियुक्त फार्मासिस्टों के पदस्थापन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत फार्मासिस्टों के पदस्थापन करते समय निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जावेः–

1. जिन चिकित्सा संस्थाओं में फार्मासिस्टों के नियमित पद स्वीकृत हैं उन्ही चिकित्सा संस्थानों में नियमित पद पर पदस्थापन किया जावे। यदि किसी संस्था में नियमित पद स्वीकृत नहीं है तो उस संस्था में पदस्थापन नहीं किया जावे।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (जयपुर–द्वितीय को छोड कर) उनके यहां कार्यग्रहण करने वाले फार्मासिस्टों में से दो फार्मासिस्ट राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन द्वारा जिला मुख्यालय पर स्थापित जिला औषधि भण्डार पर पदस्थापित करें एवं इसकी सूचना प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन एवं इस निदेशालय को प्रेषित करें।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (जयपुर–द्वितीय को छोड कर) उनके यहां कार्यग्रहण करने वाले फार्मासिस्टों में से उनके जिले में जैल डिस्पेन्सरी, पुलिस लाईन डिस्पेन्सरी, आर.ए.सी. डिस्पेन्सरी में पद स्वीकृत होने की स्थिति में एक–एक फार्मासिस्ट अपने स्तर पर लगा कर इस निदेशालय को अवगत करावें।
4. यदि किसी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को उनके अधीन स्वीकृत पदों से अतिरिक्त फार्मासिस्ट आवंटित किये गये हैं तो जितने नियमित स्वीकृत पद हैं उतने फार्मासिस्टों को ही कार्यग्रहण करायें एवं इस संबंध में सूचना तुरन्त निदेशालय को भेजें, ताकि अतिरिक्त फार्मासिस्टों का पदस्थापन अन्य स्थान पर किया जा सके।
5. आपको आवंटित फार्मासिस्टों में से ऐसे फार्मासिस्ट जो पूर्व में आपके अधीन संविदा आदि पर कार्यरत हैं उनकों जहां तक संभव हो उसी चिकित्सा संस्था में पदस्थापित किया जावे।

Sd/-
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/फार्मा./नियुक्ति/2012/591-96 दिनाँकः–23-7-2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय को भेज कर लेख है कि इस पत्र को वैबसाईट पर अपलोड करें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

VK D:\Pharmasist\Pharmacist Letters 2012.doc